

हरियाणा सरकार



प्रेषक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

विषय:1 राज्य विधानसभा के आम चुनाव अधिकारियों/कर्मचारियों के जो चुनाव ड्युटी में सम्मिलित हो के सन्दर्भ में निर्देश।

विषय:2 आचार संहिता के दौरान अप्रूवल के लिए, अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव ही आयोग द्वारा विकसित cvigil एप्प पर अपलोड करने बारे।

डायरी न० 7937 दिनांक 19.08.19

कृपया वि०पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वि० पत्र की पृष्ठांकित प्रति सभी विभागाध्यक्ष को सम्बोधित है। वि०पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि चुनाव ड्युटी/चुनाव कार्य में लगे हुए कर्मचारियों के स्थानांतरण ना किये जाये ताकि विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराने में कोई व्यवधान नहीं आये।

कृपया इस सम्बन्ध में निवेदन है कि विभाग में कोई अधिकारी/कर्मचारी सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है वैसे भी उक्त सूचना जिला स्तर के अधिकारीगण के लिए जैसे DEO, ARO, आदि के लिए है।

अतः अनुमोदित हो तो शुन्य सूचना भेज दी जाये।

वि०पत्र:2

वि०पत्र:2में सूचित किया गया है कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान सभी विभागों से आचार संहिता में विभिन्न प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ इस कार्यालय में भेजे गए। जबकि सभी मामले मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के सम्बन्धित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव के माध्यम से (सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव अपने विभाग के प्रस्ताव के लिए कमेटी में सदस्य होते हैं)

हरियाणा सरकार



भेजे जाने चाहिए थे, बार-बार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को लिखे जाने उपरान्त भी प्रस्ताव इस कार्यालय को ही भेजे जाते रहे।

राज्य में इसी वर्ष विधानसभा आम चुनाव भी होने हैं, जिसके कार्यक्रम की घोषणा सितम्बर मास में होने की सम्भावना है। अतः सूचित किया गया है कि तबादला/सभी प्रकार के टैण्डर/नियुक्तियां इत्यादि सभी कार्य चुनाव आचार संहिता से पहले कर लिए जावे अथवा आचार संहिता के दौरान किसी मामले में आयोग की स्वीकृति की सहायता हो, तो मामला स्कीनिंग कमेटी के माध्यम से भिजवाया जावे। आचार संहिता के दौरान अप्रवूल के लिए जो भी प्रस्ताव भेजे जाए उन्हें विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव के माध्यम से स्कीनिंग से अनुमोदित करवाने उपरान्त cvigil एप्प पर अपलोड करवाये जावे।

अतः मामला वि०पत्र 1 एवं 2 के सम्बन्ध में अधिकारीगण के आदेशार्थ/सूचनार्थ प्रस्तुत है।

Meghshyam
Meghshyam 26/8/19
Accounts Clerk

APD III Puc E-1 'A' is submitted for approval
(11) Puc EL Puc II may be cancelled in the office
ls
26/8/19

W/ Director

OK!

[Signature]
27-08-19

A.O.



वर पुर्व काल के अनुमोदन उपरान्त
 मुख्य युवाव डाकियारा, मजिस्ट्रेट को भेजे जाने
 वाला पत्र को संकेत जाल्य A.D. नं. के अन्तर्गत
 हस्तात प्रस्तुत है

M. M. J. J.
 27/8/19
 A.O. (C. M. J.)
 A.D.

Raghavendra
 27-08-2019

A.C.
 Despatched
 M. M. J. J.
 27/8/19

W/C
 Despatched - 8109
 27/8/19
~~27/8/19~~



प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
हरियाणा

विषय : Revised schedule for special summary
Revision of Photo Electoral Rolls
with 01-01-2020 as the qualifying
date and Elector's verification
Programme (E.V.P.) - regarding.

डाकरी क्रमांक : 9169 - दिनांक : 25/11/19

कृपया विचार प्रस्तुत है

रनागर
02/12/19

A/c

ये अग्रणी है जो उक्त नोट (Reg. No.)
द्वारा हस्ताक्षरों को नोट अलग किया जाए
Miyers
26/11/19

A.O.

Miyers
31/11/19

RIC (Reg.)
Aradi

GOVERNMENT OF HARYANA

वे.स.स.
03/12/19
गुडडी देवा

Amull
23/11/19

Sande
03/12/19

Javeraj
03/12/19

03/12/19

ये सब अन्यायपूर्ण नोट अलग

From: Superintendent Election
Chief Secretary office
Election branch.

Sub: Bye election to 33 - Baroda Assembly
Constituency (soupat) Pursuote

Dairy # 3967

Dated 05/10/2020

(2) Bye - election to fill casual vacancies in
parliamentary Constituencies of Bihar and
State legislative Assembly of various States
Instruction on enforcement of Model Code
of Conduct

(11) Bye - election release of funds under
M.P.'s/M.L.A.'s local Area development

Schemes -

Dairy - 4107
sub - 3

Bye election to 33 - Baroda Assembly
Constituency, 2020 - Constitution of
Screening Committee - reporting

Dairy No: 4067

Puc (1-3) Submitted please

Sugar
14/10/2020

Accomps clerk

and P1. Tyde Meerk

15/10/20

Mem date



PUC-I

From: Chief Secretary Office, Election Branch, Govt. of Haryana
Subject: Bye Election to 33- Baroda Assembly Constituency (Sonipat)
Press note.
Diary no. 3981 dt 5.10.2020

PUC-II

From: Chief Secretary Office, Election Branch, Govt. of Haryana
Subject: i) Bye Election to fill casual vacancies in Parliamentary
Constituencies of Bihar and State Legislative Assembly for
various States- Instruction on enforcement of Model Code of
Conduct-regarding
ii) Bye-Election-Release of Funds under MPs'/MLAs'
Local Area Development Scheme
Diary no. 4107 dt 14.10.2020

PUC-III

From: Chief Secretary Office, Election Branch, Govt. of Haryana
Subject: Bye Election to 33- Baroda Assembly Constituency, 2020-
Constitution of Screening Committee-regarding
Diary no. 4067 dt 9.10.2020

PUC-I submitted please. The PUC received from the Chief Secretary Office, Election Branch, Govt. of Haryana vide memo no.4/2/2020-Election dated 29.09.2020 on the subject cited above.

In the PUC, it is informed that the Model Code of conduct has come into force from date of announcement of the polls by Election Commission of India i.e. 29.9.2020. Therefore a copy of Model Code of Conduct received from the Chief Electoral officer, Haryana vide letter no. 320(7)/PressNote/Bye-Elec-2020/2AE-4226 dated 29.9.2020 (Flag 'X') alongwith its enclosures for immediate compliance. It may be ensured that directions of the Election Commission of India are complied with strictly. Copy of this letter along with enclosures is also available at csharyana.gov.in for download..
File is submitted for information please.



PUC-II

PUC-II submitted please. The PUC received from the Chief Secretary Office, Election Branch, Govt. of Haryana vide memo no.4/2/2020-1 Election dated 06.10.2020 on the subject cited above.

In the PUC, it is informed that the election schedule for the Bye-election 33- Baroda has been announced by the Election Commission of India. In this regard, the instructions issued by the Election Commission of India are also available at Commission's website www.eci.gov.in. It is therefore requested that instruction issued by the Election Commission of India vide letter no. 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2020 dated 29.9.2020 (Flag 'Y') may be complied strictly.

File is submitted for information please.

PUC-III

PUC-III submitted please. The PUC received from the office of Chief Electoral Officer, Haryana vide memo no. 320(8)/Screening Committee/Elec-2020/2AE-4282 dated 01.10.2020 on the subject cited above.

In the PUC, a reference letter is mentioned i.e letter no. 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2019 dated 10.3.2019 (Flag 'Z') by Election Commission of India regarding standing instructions. As per these instructions of the Election Commission of India, a screening committee headed by the Chief Secretary to Govt., Haryana shall be continued with the following composition:-

- | | |
|---|----------|
| a) Chief Secretary | Chairman |
| b) ACS/PS/Secretary of the Department(s) | Member |
| c) Pr. Secretary/Secretary of the
General Administration/Coordination Department
Of the state | Member |



FPP:-

"The said committee shall examine each proposal before sending it to Election Commission through the Chief Electoral Officer in the light of Commission 's existing instructions/directions/clarifications available in the form of Manual on Model Code of Conduct/Compendium of instructions on Model Code of Condcut/instructions available on the 'ECI website' (eci.gov.in). The proposals cleared by the Screening Committee shall be submitted to the CEO Haryana through cVIGIL App of the ECI alongwith full details and a note on urgency i.e. why the proposal can't wait till completion of poll/election. The CEO shall forward only such proposal (s) that are cleared by the aforesaid Screening Committee, to the Commission alongwith his/her comments immediately."

They have also requested that all departments of the State may be advised not to forward any reference/proposal directly to the Election Commission or the CEO Haryana.

In this regard, it is informed that all three PUCs have been seen by worthy Principal Secretary to Govt. Haryana (A&M) and worthy Director (A&M). Also there is no such proposal exist in the department at present. ref .

Hence, file is submitted for information please.

*Ofms-1191
15/10/2020*

*Neha
15/10/2020*
*Mahajan
15/10/2020*
A.D.

A/O
AD
Ar
Meharaj
16/11/20
RK
Rashmi
15/10/2020
16/10/2020
अपने अल्प विषयों के लिए धन्यवाद।
आपका सहयोग प्रिय
28/10/2020



प्रेषक :- अधीक्षक, संसदीय कार्य
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

विषय :- हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान (धुड़िया
के समय) विभागों के कर्मचारियों को हरियाणा
सचिवालय में प्रवेश करने बारा

डायरी :- 4070 दिनांक :- 27/10/2020

विषय-2

विषय :- हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकांश
कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहने
का दौरा करना जारी रखें

डायरी :- 4071 दिनांक :- 27/10/2020

को वि०पत्र (1-2) प्रकृत है

सागर
28/10/2020

ले/ले

रिपोर्ट कीपट रिपोर्ट maintain करना
संग्रह ले; मिसिल की प्रोजेक्ट को। पूर्व
में उक्त विषय मिसिल में लगाएं विभागों पर
Flag लगायें

~~myelk~~
28/11/22

~~RK ESSA~~

ले/ले

अध्यक्षताएल द्वारा आवेदन में इन
लेव निदेशों का हमान रखा जाइगा तथा
अन्य उपरोक्त के लिए अध्यक्षताएल को
लेव है
सागर
28/10/2020



10

हरियाणा सरकार

कृप्या पूर्व पृष्ठ पर दो विपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण एवं प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:-

विपत्र 1-

उक्त विपत्र माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त हुआ है। विपत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि 05.11.2020 दोपहर बाद से विधानसभा सत्र का अधिवेशन आरंभ हो रहा है। अतः विधानसभा में प्रवेश करने के लिए अथवा हरियाणा सचिवालय में प्रवेश करने के लिए संबंधित विभाग अपने विभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के पास अपने स्तर पर csharyana.gov.in में AD.O1 पर बनाएंगे। अतः मामले में अनुमोदन हो तो सभी कर्मचारियों एवं पास बनाने के लिए सुश्री नेहा, लिपिक को निर्देश दे दिए जाए।

विपत्र-2

उक्त विपत्र माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त हुआ है। विपत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि 05.10.2020 दोपहर बाद से विधानसभा सत्र का अधिवेशन आरंभ हो रहा है। अतः 05.11.2020 से सत्र समाप्ति तक एवं अधिवेशन की तैयार के लिए एवं अधिवेशन के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए कार्यालय में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित कर दी जाए। केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़कर कर्मचारी दौरे पर न जाए एवं अवकाश पर न जाए, मुख्यालयों पर ही रहें। अतः इस संबंध में विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को सत्र की अवधि तक कोई भी अवकाश आवेदन/प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम प्रस्तुत न करने के बारे में निर्देश जारी कर दिए जाए।

कृप्या विपत्र 1 एवं 2 के कार्यालय प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु मामला सक्षम प्राधिकारी/निदेशक महोदया के अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

Meghshyam
Accounts Clerk
28/10/2020

A&H. Di

file submitted for approval please

Raghavendra K R
29/10/2020

B. Bhattacharyya
29.10.20

30/10/2020

B. Bhattacharyya
30.10.20

30/10/2020

Dy. Dir

w/ Director

AD

AE issue the order

C.F.M.S.
1191
28/10/2020

Chs-1191
29/10/2020

कृ. पूजा पूरा रू.

कृ. पूजा पूरा रू. के माननीय निदेशक महो. के अग्रिम

उपर्युक्त व्यापारिक आदेशों का क्रमबद्ध प्रारूप ~~मात्र~~ सहायक निदेशक महो. के अग्रिम/ ~~सहायक~~ सहायक प्रमुख हैं

C Fms
119
3/11/2020

~~M. M. K. P. S.~~
3/11/2020

Asstt. Dir

A/C


03/11/2020


Please despatch and deliver etc.

Keep in file P.S.

~~M. M. K. P. S.~~
3/11/2020

~~5/11/2020~~

3366-58
3/11/2020

 ALG



From: Deputy Commissioner, Panchkula.

Subject: General Election of Municipal Corporation,
Panchkula - 2020, regarding.

Dainy No: 4764

Dated: 27/11/2020

Puc submitted please

Sagar
02/12/2020

Ant-5 (Admin)



- 13 -
हरियाणा सरकार



विषय नगर निगम चुनाव पंचकूला 2020।

कृ० विपत्र उपायुक्त पंचकूला से प्राप्त हुआ है, जो पंचकूला स्थित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष को संबोधित है। विपत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि शीघ्र ही पंचकूला में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इस संबंध में अंतिम प्रकाशन 27.11.2020 को होने उपरांत इस कार्य के लिए काफी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों की बतौर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी एवं सुपरवाइजर स्तर के अधिकारियों की आवश्यकता होगी। अतः इसी संबंध में पंचकूला स्थित सभी विभागों से सभी कर्मचारियों के नाम एवं पते की संपूर्ण सूचना मांगी गई है। जो दिनांक 24.11.20 तक भेजी जानी थी।

विपत्र के संबंध में निवेदन है कि विभाग का कार्यालय चण्डीगढ़ में स्थित है और सूचना पंचकूला स्थित कार्यालयों की मांगी गई है। अतः अनुमोदित हो तो विपत्र फाईल कर दिया जाए। कृपया मामला अधिकारीगण की सेवा में आगामी आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

M. N. N. N.
7-12-2020
मेघ श्याम
सहायक(प्रशासनिक शाखा)

A/S

Prin
7/12/2020

w/Dir. as proposed

HPK
7/12

A/O

HPK

Please put up any other A/c received

M. N. N. N.
9/12/2020

HPK

C.F.MS
1462
07-12-2020



From: Sh. Parmal Singh
Asst. state election Commissioner
Haryana

Subject:- Model Code of Conduct clarification
regarding.

Daisy No. 4842

Dated 8/12/2020

Plc submitted please

Sagan
9.12.2020.


Ans 5 (Ammi)

अ. 'मिनिट का नोटिफ के सभा 13 वर

3 वर मामला निपरापा जा युवा ए

Muzum
14/12/2020

RK 88H



From: State Election Commission
Haryana

Subject :- Model Code of Conduct - clarification
regarding

Dairy No: 4530 (242216)
E.No.

Dated: 15/12/2020

Puc is submitted please

Sevan
17/12/2020

Am/15 (Administration)

क० शासन के आदेश आदेश अनुसार युवा आचार
संहिता को निम्नलिखित नगर निगम /
नगर पालिकाओं में एक नए युवा
संयुक्त के के संयुक्त के निवेश है
युवा संयुक्त है यह है संघ परिषद
को यह है निगम का सीमा को LINK
है। इस अनुसार है के निम्नलिखित के लक्ष्य
निम्नलिखित

Muzens
31/12/2020

A.D/O

Self-certify

01-01-2021

RIC E.H. 1-1-2021

RIC
CFMS
01-01-2021